न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2010–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–20(पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 244/अपील/10–11

---

1 श्रीमती वंदना देवी पत्नि श्री मोहनलाल नैनवानी
उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी 72 गोविंद गार्डन
रायसेन रोड, भोपाल
2 श्रीमती संध्या देवी पत्नि श्री नंद कुमार नैनवानी
उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी 78, लाला लाजपतराय
नगर, गोविन्दपुरा भोपाल
3 श्रीमती रजनी देवी पत्नि श्री मुरलीधर नैनवानी
आयु लगभग 47 वर्ष निवासी 4/2, लाल लाजपतराय
नगर, गोविन्दपुरा भोपाल
4 श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री रमेश कुमार नैनवानी
आयु लगभग 49 वर्ष निवासी 4/1, लाला लाजपतराय
नगर, गोविन्दपुरा भोपाल
सभी काश्तकार ग्राम छान, प0ह0न0 44 तहसील हुजूर
जिला भोपाल
द्वारा श्री तुलसी नैनवानी वल्द स्व0 अर्जुनदास नैनवानी
उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी 72 गोविन्द गार्डन, भोपाल
मान्यता प्राप्त अभिकर्ता

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 धर्मेन्द्र कुमार वल्द राजाराम कुर्मी
2 मनोज कुमार वल्द राजाराम कुर्मी
दोनों वयस्क निवासी एवं कृषक ग्राम छान,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री डी0 डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एन0 गौर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 29–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 89 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के स्वामित्व की भूमि ग्राम छान स्थित सर्वे कमांक 63–65, 160/64, 64/1 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर है, जिसके नये सर्वे कमांक 137, 138 एवं 139 रकबा कमशः 0.20 हेक्टेयर, 0.36 हैक्टेयर एवं 1.37 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर हो गये हैं। बंदोबस्त के दौरान आवेदक कमांक 1 की भूमि के रकबे में 0.43 हैक्टेयर (1.07 एकड़) की कमी हुई है । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व की भूमि ग्राम छान स्थित सर्वे कमांक 63–65, 160/64 एवं 64/2 रकबा 2.02 हैक्टेयर है जिसके नये सर्वे कमांक 140 रकबा 1.88 हैक्टेयर हो गये हैं। बंदोबस्त के दौरान अनावेदक कमांक 2 की भूमि में 0.14 हैक्टेयर (0.35 एकड़) की कमी आई है । इस प्रकार बंदोबस्त की त्रुटि के कारण अनावेदकगण की 0.57 एकड़ भूमि कम हुई है । अतः अनावेदकगण की 0.57 हैक्टेयर भूमि कम कर दिये जाने संबंधी अभिलेख दुरूस्त किये जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–6–अ/07–08 दर्ज किया जाकर दिनांक 15–2–2008 को आदेश पारित कर अभिलेख सुधार करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–11–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15–2–2008 एवं उसके पालन में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश

दिनांक [redacted] नामांतरण पंजी कमांक 16 पर प्रमाणित नामांतरण आदेश दिनांक 29–2–[redacted] निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध [redacted] द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 29–4–2014 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोबस्त में हुई त्रुटि को संशोधित कर सकते है, परन्तु नक्शे में संशोधन करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं होकर संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर को है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है। यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण से भूमियां कय की गई है, और वे प्रश्नाधीन भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हैं पक्षकार नहीं बनाकर एवं सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंदोबस्त के दौरान स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि नाले में चली गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी इसमें संशोधन नहीं कर सकते है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण नदी के कटाव में गई भूमि को अपनी भूमि बताकर प्राप्त नहीं कर सकते है । तर्क में यह भी कहा गया कि 10 वर्ष तक बंदोबस्त यथावत रहा और 10 वर्ष पश्चात कम भूमि बताकर अनावेदकगण द्वारा संशोधन चाहा जा रहा है, जो नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध बंदोबस्त अधिकारी को अपील होगी और बंदोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध बंदोबस्त आयुक्त को अपील होगी। अतः आयुक्त द्वारा यह ठहरानें में त्रुटि की गई है कि संहिता की धारा 89 के अंतर्गत सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश में सुधार करने का अधिकार अनुविभागीय

अधिकारी को है। वास्तव में प्रकरण में बंदोबस्त अधिकारी के अनुसरण में कार्यवाही की गई है और बंदोबस्त समाप्त होने के उपरान्त अनावेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष कोई अपील नहीं की गई है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, क्योंकि प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान राजाराम की मृत्यु हो गई थी और अनावेदकगण का दायित्व था कि वे आयुक्त को इसकी सूचना देते। तर्क के समर्थन में 2002 राजस्व निर्णय 238, 2005 राजस्व निर्णय 240, 1988 राजस्व निर्णय 13, 1961 राजस्व निर्णय 210, 1991–दो एम0पी0 डब्ल्यू एम0 25, 2002 राजस्व निर्णय 359, 2001 राजस्व निर्णय 183, 1995 राजस्व निर्णय 419, 2005 राजस्व निर्णय 72 एवं 205, 1994 राजस्व निर्णय 110, 1997 राजस्व निर्णय 241, 2002 राजस्व निर्णय 238, 1976 राजस्व निर्णय 167 एवं 2009 (3) आईएलआर नोट 49 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंदोबस्त के दौरान अनावेदकगण की 0.57 आरे भूमि कम हो गई थी और बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किया गया है। अतः बंदोबस्त समाप्त होने के उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी को बंदोबस्त में हुई त्रुटि को सुधार करने का अधिकार संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्राप्त है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक कमांक 2 संध्या देवी के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उसमें ओवर राईटिंग कर ज्यादा रकबे का उल्लेख किया गया है, अतः रकबा बढाने से नक्शा भी बदल गया है। इस आधार पर कहा गया कि उक्त विक्रय पत्र में 15 आरे भूमि बढाई गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि के रकबे में कोई कमी नहीं हुई है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अतः उन्हैं पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बंदोबस्त में हुई त्रुटि सुधारने से आवेदकगण का रकबा प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिये

जो रकबा ज्यादा है वह अनावेदकगण को ही प्राप्त होगा। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया व पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त के सर्वेक्षण अथवा भूमि की गणना में यदि कोई त्रुटि होती है तब संहिता की धारा 89 लागू होती है, जिसके अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अधिकार प्राप्त है, परन्तु इस प्रकरण में बन्दोबस्त के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होती है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है। इसी कारण कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा जिस प्रकार की राहत चाही गई है उससे नक्शे में परिवर्तन की स्थिति निर्मित हो रही है। नक्शे में परिवर्तन अथवा संशोधन संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत किया जाता है, जिसका अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रकरण का निराकरण किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। आवेदक द्वारा बन्दोबस्त के दौरान त्रुटि दर्शायी जाकर नाले में गई भूमि को अपनी भूमि बताकर भूमि की मॉग की गई है, नाले में गई भूमि वास्तव में अनावेदकगण की है, यह स्थिति संपूर्ण भूमि के सर्वेक्षण से ही स्पष्ट हो सकती है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आवेदकगण द्वारा बन्दोबस्त के 10 वर्ष पश्चात् बन्दोबस्त में त्रुटि होना दर्शाकर उसके संशोधन की मॉग की गई है, परन्तु उनके द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक बन्दोबस्त में हुई त्रुटि के संशोधन हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण नहीं बतलाया गया है। यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा आपत्तियॉ आमंत्रित की जाती है और उस समय अनावेदकगण द्वारा बन्दोबस्त के समय आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि बन्दोबस्त में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। दर्शित परिस्थितियों में

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होने से उसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है। अतः आयुक्त का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–04–2014 निरस्त किया जाता है एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2010 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.